न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3861-पीबीआर/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 12-8-2013 पारित द्वारा कलेक्टर जिला ग्वालियर, प्रकरण क्रमांक 44/2012-13/स्वमेव निगरानी

रामकुमार पुत्र श्री फूलसिंह
निवासी ग्राम महाराजपुरा
तहसील व जिला ग्वालियर

.................आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन

..........अनावेदक

श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
श्री कुलदीप सिंह, शासकीय अभिभाषक - अनावेदक शासन

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 13/11/18 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत कलेक्टर जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12-08-2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष संहिता की धारा 172(1) के अन्तर्गत ग्राम जडेरूआकला तहसील व जिला ग्वालियर में स्थित सर्वे क्रमांक 423/1 मिन रकवा 0.314 हेक्टर भूमि के डायवर्सन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 43/2012-13/172(1)/अ-2 दर्ज कर अधीक्षक भू-अभिलेख से प्रतिवेदन चाहा गया । अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा प्रतिवेदन

अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के डायवर्सन की अनुमति प्रदान कर दिनांक 28-12-12 को प्रतिवेदन अनुमोदित किया गया । तदोपरांत आवेदक द्वारा निर्धारित प्रीमियम एवं भू-भाटक राशि जमा कराई गई, तत्पश्चात् अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 24-1-2013 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि के डायवर्सन की अनुमति प्रदान की गई । कलेक्टर जिला ग्वालियर द्वारा उक्त आदेश में अनियमितता पाते हुये प्रकरण क्रमांक 44/2012-13/स्वमेव निगरानी दर्ज कर आवेदक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया । आवेदक द्वारा सूचना पत्र का जबाव दिया गया। कलेक्टर द्वारा दि.12-8-2013 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दि.24-1-13 निरस्त किया गया साथ ही मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल तथा आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर को आदेश की प्रति भेजकर तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने का उल्लेख किया गया एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मुरार को आवश्यक कार्यवाही हेतु अभिलेख सहित आदेश की प्रति भेजी गई, तत्पश्चात् कलेक्टर द्वारा दिनांक 14-8-13 को संशोधित आदेश पारित कर तत्कालीन पीठासीन अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मुरार के स्थान पर तत्कालीन अधीक्षक भू-अभिलेख(डायवर्सन) एवं राजस्व निरीक्षक(डायवर्सन) पढ़े जाने संबंधी संशोधन किया गया । कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12-8-2013 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क में प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन डायवर्सन के संबंध में रेलवे विभाग द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है । यह भी कहा गया कि मास्टर प्लान वर्ष 2010 में समाप्त हो गया । इस आधार पर कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि आवासीय है और प्रश्नाधीन भूमि रेलवे लाईन से 30 मीटर के अन्दर स्थित नहीं है अपर कलेक्टर द्वारा इस संबंध में कोई जॉच भी नहीं की गई है अतः बिना जॉच किये प्रकरण स्व-प्रेरणा से निगरानी में लेकर कार्यवाही नहीं की जा सकती है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील/निगरानी प्रस्तुत किये जाने का संहिता में प्रावधान है अतः कलेक्टर द्वारा स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही नहीं की जा सकती है ।

4/ अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क में प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश अवैधानिक एवं अनियमित आदेश था जिसे स्वप्रेरणा

से निगरानी में लेकर निरस्त करने में कलेक्टर द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है। अतः कलेक्टर द्वारा पारित आदेश उचित है, निगरानी खारिज की जाये ।

5/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में यह अनियमितता पाते हुये कि प्रश्नाधीन भूमि का व्यपवर्तन अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधि के प्रावधानों के अनुरूप नहीं किया गया है क्योंकि ग्वालियर में ग्वालियर विकास योजना प्रभावशील है जिसके तहत रेलपथ से 30 मीटर छोड़कर भूमि का उपयोग प्रावधानित है और विकास योजना लागू होने के कारण विकास योजना के प्रावधानों के अनुरूप प्रश्नाधीन भूमि के व्यपवर्तन हेतु राज्य शासन सक्षम है । मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम अधिनियम, 1973 की धारा 25(1) एवं (2) के अन्तर्गत भी किसी भी भूमि का व्यपवर्तन विकास योजना लागू होने पर उसके उपबंधों के अनुरूप होगा। चूँकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उपरोक्त वैधानिक स्थिति पर बिना विचार किये प्रश्नाधीन भूमि के व्यपवर्तन की अनुमति दी गई है, इसलिये कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश अवैधानिक पाते हुये निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । इस संबंध में आवेदक की विद्वान अभिभाषक का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि ग्वालियर शहर में विकास योजना (मास्टर प्लान) वर्ष 2010 में समाप्त हो गई थी, क्योंकि उक्त मास्टर प्लान समाप्त होने के पूर्व ही नये मास्टर प्लान की घोषणा की जा चुकी थी। उनका यह तर्क भी उचित नहीं है कि प्रश्नाधीन भूमि रेलपथ से 30 मीटर के अन्दर स्थित नहीं है क्योंकि उनके द्वारा इस संबंध में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है । कलेक्टर द्वारा विधिवत् विस्तृत जॉच की जाकर उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देकर आदेश पारित किया गया है, अतः इस संबंध में भी उनका तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है, इस प्रकार कलेक्टर का आदेश पूर्णतः विधिवत् होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12-08-2013 वैधानिक होने से स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर